(ट) कोटवारी किताबों में जन्म संख्या, मृत्यु संख्या और मृत जन्मों की संख्या के संबंध में की गई प्रविष्टियों की सत्यता की जांच की दृष्टि से, आरक्षी केन्द्रों में अपने-अपने भ्रमण के अवसर पर वह, किसी कोटवार से पहले प्रश्न पूछेगा जो उसके निरीक्षण के दौरान आरक्षी केन्द्र में उपस्थित हो और तब उन प्रविष्टियों से तुलना करेगा जो पुलिस रजिस्टर में की गई हों। पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान आरक्षी केन्द्रों में उसके द्वारा की गई जांच के परिणामों को प्रदर्शित करते हुए एक प्रतिवेदन निर्धारित फार्म में पुलिस अधीक्षक को प्रति तिमाही के प्रथम दिन अवश्य भेजेगा। पुलिस रजिस्टर की केवल वे ही प्रविष्टियां जांच हुई मानी जानी चाहिए जो कि विस्तारपूर्वक कोटवारी किताब में वास्तविक में जांच की गई हो।

खण्ड तीन — केन्द्र अधिकारी (थाना प्रभारी)
(Station Officer)

579. केन्द्र अधिकारी— बड़े नगरों को छोड़कर, आरक्षी केन्द्र का प्रभारी अधिकारी बहुधा उपनिरीक्षक या सहायक उपनिरीक्षक होता है। उसके प्रभार की सीमाओं के अन्दर वह प्रमुख अन्वेषण अधिकारी होता है और इसलिए जहां तक परिस्थितियां अनुकूल हों वह व्यक्तिगत रूप से सभी अन्वेषण संचालित करेगा। इस विषय में उसकी जिम्मेदारियां सावधानीपूर्वक बनाई रखी जाएं और वरिष्ठ अधिकारी, बिना विशेष कारण के, उसे कभी भी अलग नहीं रखेंगे। केन्द्र अधिकारी की अनुपस्थिति या अन्य किसी कारण से अधीनस्थ के लिये अन्वेषण अपने हाथ में लेना यदि आवश्यक हो जाय, तब केन्द्र अधिकारी मामले की डायरी का अवलोकन करके और अन्वेषण अधिकारी से पूछताछ कर अपने आपको इस बात से संतुष्ट कर लेगा कि अन्वेषण पूर्ण रूपेण और उचित ढंग से संचालित किया गया है, त्रुटिपूर्ण हो तो उसे सुधारे और ज्योंही वह ऐसा करने का अवसर पाता है अवश्य ही अन्वेषण अपने हाथ में ले लेगा।

टिप्पणी

प्रायः यह पाया जाता है कि केन्द्र प्रभारी थाने में मौजूद रहते हुए भी संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना स्वयं नहीं लेखबद्ध करते तथा इस कार्य को प्रधान आरक्षक या थाने के मुन्शी पर छोड़ देते हैं। इसका सीधा प्रभाव अनुसंधान पर पड़ता है। क्योंकि प्रधान आरक्षक उतने निपुण तथा विधि का ज्ञान रखने वाले नहीं होते। वस्तुतः सुपरवीजन अधिकारियों को इस बात का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए कि इस कंडिका में दिये गये निर्देशों का पालन सही होता है अथवा नहीं।

580. केन्द्र अधिकारी की शक्तियां— आरक्षी केन्द्र का प्रभारी अधिकारी उस रूप में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करता है। उनमें से प्रमुख यहां सारांशित की गई हैं—

(क) धारा 41 के अंतर्गत - आवारों और आदतन लुटेरों को गिरफ्तार करने की शक्ति।

(ख) धारा 79 के अंतर्गत - जारी करने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर निष्पादन के लिये वारंट को पृष्ठांकित करने की शक्ति।

(ग) धारा 91 के अंतर्गत - अन्वेषण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक किसी वस्तु को पेश करने के लिये लिखित आदेश जारी करने की शक्ति।

(घ) धारा 129 के अंतर्गत - अवैधानिक सभा को विसर्जित करने की शक्ति।

(ङ) धारा 153 के अंतर्गत - अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर किसी स्थान में प्रवेश करने की शक्ति और झूठे तौल और मापों के लिये तलाशी करना।

(च) धारा 156 एवं 157 के अंतर्गत - अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संज्ञेय मामलों के अन्वेषण करने की शक्ति।

(छ) धारा 165 के अंतर्गत - अन्वेषण के संचालन के लिये आवश्यक किसी वस्तु के लिये अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी मकान या स्थान की तलाशी लेने की शक्ति।

पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, भोपाल